राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 324/2023

अनन्त प्रकाश मित्तल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सहायक सचिव, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
3. सुनील कुमार खण्डेलवाल, अब अपीलार्थी के स्थान पर एक्सईएन टैरिफ एसबीआरपीडी, जयपुर पदस्थापित।
4. भगवान सहायक गुप्ता, स्थानान्तरण के तहत एसई राजस्थान नदी क्षेत्र, जल संसाधन विकास प्राधिकरण, जयपुर पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 08.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री सौरभ पुरोहित, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता के पद पर वाटर टैरिफ एस.डब्ल्यू आर पीडी जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिशाषी अभियंता एवं तकनीकी सहायक वास्ते अधीक्षण अभियंता रेगुलेशन वृत्त हनुमानगढ जिला हनुमानगढ में किया गया है। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 13.09.1964 है। उसकी सेवानिवृति दिनांक 30.09.2024 को है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में लगभग 15 माह का समय शेष है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान कर रखा है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर

सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय **श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016** में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया कि जिसमें ऐसे स्थानान्तरण आदेश को अनुचित माना है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि जयपुर शहर में अधिशाषी अभियंता के पद रिक्त हैं। प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो रिक्त पद पर पदस्थापित कर सकता है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आलोच्य आदेश के तहत एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण कर दिया, जो नियमों के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को एक्सईएन वाटर टैरिफ एसबीआरपीडी, जयपुर में निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश नियमानुसार सक्षम स्तर पर जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक का सेवानिवृत्ति संबंधी पत्राचार सेवानिवृत्ति माह से एक माह पूर्व ही प्रारंभ किया जाता है। अपीलार्थी 4 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत है। इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश नियमानुसार जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2024 को है, जिसमें एक वर्ष से अधिक का समय शेष है। इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण

नियमानुसार किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण जनहित में किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाबों का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा जयपुर से हनुमानगढ़ स्थानान्तरण किया गया, जबकि अपीलार्थी माह सितम्बर, 2024 में सेवानिवृत्त होने वाला है, जिसके कारण अधिकरण ने अंतरिम आदेश जारी किया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अधिशाषी अभियंता के पद पर वाटर टैरिफ एस.डब्ल्यू आर पीडी जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिशाषी अभियंता एवं तकनीकी सहायक वास्ते अधीक्षण अभियंता रेगुलेशन वृत्त हनुमानगढ जिला हनुमानगढ में किया गया है। अपीलार्थी की जन्मतिथि 13.09.1964 के अनुसार उसकी सेवानिवृति दिनांक 30.09.2024 को है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में लगभग 15 माह का समय शेष है। राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने को है, 2 वर्ष पूर्व प्रपत्र 7 में पेंशन कागजात तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा। इसका आशय है कि सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार किये जाते हैं ताकि कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर उसके परिलाभों का यथासमय भुगतान हो सके। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय **श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016** में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण एवं अन्य में पारित निर्णय में भी ऐसे स्थानान्तरण आदेश को अनुचित माना है।

इस प्रकार उक्त नियमों एवं न्यायिक विनिश्चयों को दृष्टिगत रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में

विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.01.2023 को पुष्टि कर प्रावकाश (vacate) किया जाता है और अपीलार्थी की अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य